||कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर||

क्रमांकः–र–9(350)पु0 विधि/ग्रुप–7/014/ 1124 दिनांकः–14 फरवरी, 015

परिपत्र

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र क्रमांक प.15(1)पु.वि./परिपत्र/ग्रुप–7/08/4925 दिनांक 29.08.08, 4350–56 दिनांक 20.07.010 व 8447 दिनांक 21.12.010 एवं 10790 दिनांक 18.11.013 द्वारा माननीय न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों/याचिकाओं मे नियत प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर जवाब दावा तैयार करवाने के पश्चात विधि अनुभाग पुलिस मुख्यालय से अनुमोदन कराये जाने के बाद ही न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। हाल ही में देखने में आया है कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाब दावे बिना विधि अनुभाग के अनुमोदन के न्यायालय में प्रस्तुंत किये जा रहे हैं जो प्रक्रिया के विपरीत होने के साथ–साथ विभागीय निर्देशों की अवहेलना है।

अतः वादकरण से सम्बन्धित परिपत्रों के अनुसरण में निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में समस्त न्यायालयों एवं अपील अधिकरण जयपुर/जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले जवाब दावे पुलिस मुख्यालय की विधि शाखा से विधिक्षित/अनुमोदित कराये जाने के पश्चात ही न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें।

साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि वाद पत्र/रिट याचिकायें जो कि राज्य सरकार की ओर से प्रंस्तुत की जाती हैं, उक्त को भी पुलिस मुख्यालय की विधि शाखा से विधिक्षित/अनुमोदित किया जाना आवश्यक होगा।

इसके अलावा यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी प्रभारी अधिकारी द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना भी सुनिश्चित करें।

अति0 महानिदेशक पुलिस, (पुनर्गठन)
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान,जयपुर।
3. निदेशक, आरपीए/पीटीसी/एससीआरबी, राजस्थान।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेन्ट, आरएसी मय आई.आर. बटालियन/एम.बी.सी खैरवाडा/ प्रशिक्षण केन्द्र राजस्थान,।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विधि मामलात, राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।

अति0 महानिदेशक पुलिस, (पुनर्गठन)